परिशिष्ट "दो"

...-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी. 2 डब्ल्यू-पी./505/99

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम.पी. 2/पी-122/99

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 317] भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 अप्रैल 1999—वैशाख 1, शक 1921

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 1999

क्र. एफ. 9-2-98-आ. प्र.-एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4 में,—

(1) उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(1) ऐसी स्थायी रिक्तियों को, जो आरंभ में अस्थायी आधार पर भरी गई हों और ऐसी अस्थायी रिक्तियों को, जिनके स्थायी किये जाने की संभावना हो और/या जिनके तीन मास तथा उससे अधिक कालावधि तक बने रहने की संभावना हो, सम्मिलित करते हुए, किसी भी वर्ष में सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी पदों के प्रवर्गों में से प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों का तथा प्रत्येक तृतीय श्रेणी सेवा में ऐसे पदों का दस प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी के प्रवर्गों में से प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों का तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा में ऐसे पदों का बीस प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए समस्तरीय (हारिजानटलि) तथा श्रेणीवार (कंपार्टमेंटवाइज) आरिक्षत होगा."

(2) उप नियम (2) का लोप किया जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 1999

क्र. एफ. 9-2-98-आ. प्र.-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 9-2-98-आ. प्र.-एक , दिनांक 21 अप्रैल 1999 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी/सूर्य, उपसचिव.

Bhopal, the 21st April 1999

F. No. 9-2-98-R. C.-1.—In exercise of the powers coferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the State Civil Services and post Class-III, and Class IV) Rules, 1985, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 4,—

(1) for sub rule (1) the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Ten percent of the vacancies in each of the categories of Class III posts and of such posts in each Class III service and twenty percent of the vacancies in each of the categroies of Class IV posts and of such posts in each Class IV service including permanent vacancies filled initially on temporary basis and temporary vacancies which are likely to be made permanent and/or are likely to continue for three months and more, to be filled by direct recruitment in any year shall be reserved horizonatally and compartment wise for ex-servicemen.".

(2) sub-rule (2) shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
P. C. SURYA. Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1999.